

UNDER GRADUATE ENGINEERING ADMISSION COUNSELLING (UGEAC)-2021

FOR

ADMISSION TO B. Tech. COURSES IN ENGINEERING COLLEGES

(UGEAC – 2021)

Prospectus

शैक्षणिक सत्र - 2021

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

Visit our Website: bceceboard.bihar.gov.in

UGEAC-2021 से सम्बन्धित प्रमुख सूचनाएँ

<u>क्रम संख्या</u>	<u>विवरण</u>	<u>कॉडिका</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
	परिचय ।	-	1
1.	संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार-सीमा प्रारम्भ।	1	1
2.	संस्थान परिवर्तन ।	2	1
3.	अभियंत्रण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें।	3	1
4.	आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति ।	4	1
5.	अभ्यर्थियों के लिए वांछित योग्यताएँ / अर्हतायें ।	5	2
6.	सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटें ।	6	3
7.	JEE (MAIN)-2021 / BCECE-2021 (PCM Group) की मेधा-सूची के आधार पर UGEAC-2021 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए योग्यता (Eligibility), Online आवेदन की प्रक्रिया एवं कॉउन्सेलिंग शुल्क ।	7	4
8.	कॉउन्सेलिंग सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ ।	8	5
9.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ ।	9	6
10.	परिशिष्ट-1 (Schedule-I) (सरकारी अभियंत्रण कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की विवरण)	-	7
11.	परिशिष्ट-1 (Schedule-II) Dr. APJ Abdul Kalam, Women Institute of Technology, Darbhanga अंतर्गत अभियंत्रण पाठ्यक्रमों की उपलब्ध सीटों की विवरणी।	-	13
12.	परिशिष्ट-1 (Schedule-III) (निजी अभियंत्रण कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की विवरण)	-	14
13.	परिशिष्ट-2 (अभियंत्रण डिग्री पाठ्यक्रमों में Disabled Quota की आरक्षित सीटों के लिए अर्हता)	15	15
14.	परिशिष्ट-3 सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण ।	-	16
15.	परिशिष्ट-4 (प्रमाण-पत्र / अंक-पत्र / अन्य अभिलेख की सूची)	-	17

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद
अन्डर ग्रेज्यूएट अभियंत्रण एडमिशन काँउन्सेलिंग-2021
(Under Graduate ENGINEERING Admission Counselling-2021)

विवरण पुस्तिका

परिचय :

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- वि.प्रा.(II) व²- 07/2017/2928 दिनांक 25.10.2018 के आलोक में बिहार राज्य के विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालयों के अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की काँउन्सेलिंग मनोनयन / चयन, National Testing Agency (NTA) द्वारा संचालित JEE (Main) की मेधा-सूची के अनुसार मेधा-सह-विकल्पानुसार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा किया जायेगा।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक सं.- वि.प्रा.(II) व²-07/2017-1738/ पटना, दिनांक 22.07.2021 के आलोक में राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों अन्तर्गत संचालित स्नातक अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में नामांकन हेतु JEE (Main) परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के दो चक्रों की काँउन्सेलिंग एवं एक समापन Mop-up काँउन्सेलिंग के पश्चात् यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो इन रिक्त सीटों पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा संचालित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (बी.सी.ई.सी.ई.)-2021 के PCM Group के अभ्यर्थियों से मेधा-सह-विकल्प के आधार पर उपलब्ध सीटों का आवंटन किया जायेगा।

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार-सीमा एवं प्रारम्भ :

- (i) यह विवरण पुस्तिका "UGEAC-2021 की विवरण पुस्तिका" के नाम से जानी जायेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह तुरन्त लागू होगी।

1.1 परिभाषाएँ :

- (i) "पाठ्यक्रम" से अभिप्राय है स्नातक स्तर के अभियंत्रण पाठ्यक्रम।
- (ii) "परीक्षा" से अभिप्राय है National Testing Agency (NTE) द्वारा संचालित JEE (Main) तथा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा संचालित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (बी.सी.ई.सी.ई.)-2021 के PCM Group।
- (iii) "पर्षद" से अभिप्राय है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद।
- (iv) "सरकार" से अभिप्राय है बिहार सरकार।
- (v) "परीक्षा नियंत्रक" से अभिप्राय है परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, जो सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं।
- (vi) "बिहार" से अभिप्राय है पुनर्गठन उपरान्त बिहार जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-4 (Clause 4 of Bihar

Reorganisation Act-2000) के अनुसार पारिभाषित है।

(vii) अभियंत्रण धारा से अभिप्राय :

अभियंत्रण धारा से अभिप्राय है राज्य के अभियंत्रण कॉलेजों के पाठ्यक्रम।

2. संस्थान परिवर्तन :

संस्थान परिवर्तन संबंधी सभी मामलों पर पर्षद द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार निर्णय लिया जायेगा। पर्षद का निर्णय अन्तिम होगा। उसके बाद संस्थान एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन-संबंधी किसी भी आवेदन पर संबंधित संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के निदेशकों/ कुलपतियों/ प्राचार्यों अथवा संबंधित निदेशालयों द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में उनके द्वारा पर्षद के निर्णयों का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

3. अभियंत्रण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें :

विभिन्न अभियंत्रण संस्थानों में उपलब्ध सीटों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 (सिड्युल-I, सिड्युल-II एवं सिड्युल-III) में दिया गया है। बिहार सरकार/ भारत सरकार द्वारा विभिन्न संस्थानों की सीटों की कुल संख्या में फेर-बदल करने पर तदनुसार जानकारी नामांकन हेतु काँउन्सेलिंग के पूर्व दे दी जायेगी।

4. आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति :

4.1 JEE (MAIN)-2021 / BCECE-2021 (PCM Group) की मेधा-सूची (Rank list) के आधार पर नामांकन हेतु चयन एवं आरक्षण लाभ के लिए UGEAC-2021 के Online आवेदन के निर्दिष्ट स्थान पर उसी आरक्षण कोटि को भरें जिसके लिए आपको विधिवत् जाति प्रमाण प्राप्त हो। राष्ट्रीय स्तर पर OBC (Other Backward Class) को बिहार राज्य में BC (Backward Class) एवं EBC (Extremely Backward Class) के रूप में पहचान प्राप्त है। अतः OBC के स्थान पर BC अथवा EBC जिस आरक्षण कोटि में आप आते हों उसका ही अल्लेख करें।

UGEAC-2021 के अनुसार नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए काँउन्सेलिंग हेतु Online आवेदन Submit करने की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित / लागू आरक्षण सम्बन्धी नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा।

4.2

जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी हों और जिन्हें बिहार सरकार के वांछित पदाधिकारी से आरक्षण लाभ के लिये उचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, उनके लिये प्रत्येक संस्थान की सीटों पर नामांकन हेतु उपरोक्त काँडिका-4.1 के आलोक में आवंटन के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये आरक्षण

निम्नवत हैं:-

क्रम	कोटि	आरक्षित सीटों का प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC)	16 %
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST)	1 %
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC)	18 %
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class : BC)	12 %
5.	आरक्षित वर्ग की महिलायें (Reserved Category Girls: RCG)	3 %
6.	* आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (Reserved for Economically Weaker Sections : EWS)	10 %

शेष 40% अनारक्षित सीटें सामान्य कोटि (Unreserved Category : **UR**) की होंगी।
नोट - * आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण अंक गजट (संख्या- पटना 284) पटना, दिनांक 26.02.2019 के अनुसार होगा।

4.3 जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, वे बिहार राज्य के संस्थानों में आरक्षण कोटियों के लिये कर्णांकित सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अनुसार पात्रता-प्राप्त नहीं होंगे।

4.4 JEE (MAIN)-2021 / BCECE-2021 (PCM Group) की मेधा-सूची (Rank list) में अंकित कोटि एवं बिहार सरकार द्वारा तदनुसार निर्गत SC/ST/EBC/BC/ EWS की सूची जो कॉउन्सेलिंग हेतु Online आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक लागू की गयी तथा जिसके लिए जाति प्रमाण पत्र विधिवत प्राप्त हो, उसी के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि (Category) मान्य होगा।

JEE (MAIN)-2021 / BCECE-2021 (PCM Group) की प्राप्त मेधासूची में अभ्यर्थी की जो आरक्षण कोटि (OBC / SC / ST) दर्ज है वही आरक्षण कोटि UGEAC-2021 के लिए मान्य होगी। OBC आरक्षण कोटि को अभ्यर्थी OBC के स्थान पर बिहार राज्य में लागू BC और EBC जो भी उनकी आरक्षण कोटि हो उसे ही भरें।

4.5 (i) आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो अपनी मेधा के आधार पर Unreserved (UR) की मेधा सूची में स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें Unreserved (UR) में मनोनुकूल पाठ्यक्रम / संस्थान प्राप्त नहीं होने पर, बेहतर विकल्प के लिए अपनी सम्बन्धित आरक्षण कोटि की मेधाक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम / संस्थान के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकेगा।

(ii) इस संदर्भ में राज्य सरकार / माननीय न्यायालय यदि कोई दिशा-निर्देश जारी करता है तो उसे विचारोपरान्त अद्यतन रूप से लागू किया जा सकता है।

4.6 दिव्यांग कोटा (Disabled Quota i.e. DQ) के अन्तर्गत

आरक्षित सीटें :

4.6.1 दिव्यांगों के लिए सभी संस्थानों में कुल निर्धारित सीटों की पाँच प्रतिशत सीटें दिव्यांग कोटा के लिये आरक्षित हैं जो निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सम्मिलित होंगी।

इस क्रम में नामांकन हेतु सीट आवंटन के उद्देश्य से यदि राज्य सरकार कोई अन्य आदेश, कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के लिए कॉउन्सेलिंग प्रक्रिया आरम्भ करने तक जारी करती है तब उसी आदेश के अनुरूप, दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन में आरक्षण-प्रावधान लागू होगा।

4.6.2 दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थी **JEE (MAIN)-2021 / BCECE-2021 (PCM Group)** की कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अपने आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर DQ (Disable Quota) अंकित करें जो JEE (MAIN)-2021 / BCECE-2021 की मेधा-सूची में उनके दिव्यांग (PH) या (DQ) होने को संपुष्ट करता हो। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता सम्बन्धी वांछित प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी का अभिप्रमाणित फुल साईज का फोटो चिपका होना चाहिये। इस प्रमाण पत्र में दिव्यांगता की कोटि, दिव्यांगता का प्रतिशत, दिव्यांगता के स्थायी होने अथवा दिव्यांगता के घटने-बढ़ने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र कब तक के लिये मान्य है की अवधि / तिथि का उल्लेख होना चाहिए।

4.6.3 दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत मेधा-सह-विकल्प के आधार पर दिव्यांग आवेदक तभी अभियंत्रण पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे जबकि स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित दिव्यांगता के अनुरूप उनकी दिव्यांगता ऐसे पाठ्यक्रम के चयन में बाधक नहीं होगी। डॉक्टरी जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को नामांकन आदेश निर्गत किया जायेगा। इस डॉक्टरी जाँच के लिये अलग से शुल्क लगेगा [(देखें परिशिष्ट-2।

5. अभ्यर्थियों के लिए वांछित योग्यताएँ / अर्हताएँ :-
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता।

5.1 शैक्षणिक :

(i) इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी (चार वर्षीय पाठ्यक्रम):
Passed 10+2 examination with Physics/ Mathematics/ Chemistry/ Computer Science/ Electronics/ Information Technology/ Biology/ Informatics practices/ Biotechnology/ Technical Vocational Subject/ Agriculture/ Engineering Graphics/ Business Studies/ Entrepreneur ship (Any of the Three).

Obtained atleast 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the above subject taken together.

OR

Passed minimum 3 years Diploma examination with at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) .

(ii) उपरोक्त कॉडिका- 5(i) के प्रावधान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के निर्णयानुसार संशोधित / परिमार्जित की जा सकती है और वे ही प्रावधान अन्तिम रूप से मान्य होंगे।

(iii) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के पत्र के अनुसार

भविष्य में राज्य सरकार / भारत सरकार / माननीय न्यायालय से यदि कोई आदेश / निर्देश प्राप्त होता है तो तदनुसार विचारोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

5.2 आयु सीमा :

इंजीनियरिंग में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा नहीं है।

5.3 शारीरिक :

प्रवेश के लिये चयनित अभ्यर्थियों की डाक्टरी जाँच होगी। जाँच में योग्य पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु नामांकन-आदेश निर्गत होगा। इस जाँच के लिए अलग से शुल्क लगेगा।

5.4 आवासीय अर्हता :

केवल वे ही आवेदक **JEE (MAIN)-2021 / BCECE-2021 (PCM Group)** के आधार पर प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के निवासी हैं और

- I. जिनके माता-पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं।
अथवा
- II. जिनके माता-पिता बिहार में निर्बाधित शरणार्थी हैं।
अथवा
- III. जिनके माता-पिता रहनेवाले दूसरे राज्य के हैं, लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं।
अथवा
- IV. जिनके माता-पिता पुनर्गठन के पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है और जिनका पद बिहार / झारखंड राज्य में अभी भी स्थानान्तरणीय है।
अथवा
- V. जिनके माता-पिता बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार राज्य में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित कारखानों अथवा संस्थानों (Public Sector Undertaking of Govt. of India) के कर्मचारी हैं।
अथवा
- VII. जिनके माता-पिता राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और तत्काल बिहार में पदस्थापित हैं।

5.5 निजी अभियंत्रण महाविद्यालय में नामांकन हेतु राज्य का निवासी होना चाहिए एवं JEE (MAIN)-2021 / BCECE-2021 (PCM Group) परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिए।

6. सैनिक कर्मचारी कोटा (Service Men's Quota, i.e., SMQ) के अन्तर्गत आरक्षित सीटें :

- (i) बिहार राज्य निवासी सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों/अविवाहित पुत्रियों के लिए प्रत्येक राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में संचालित प्रत्येक शाखा में एक-एक सीट आरक्षित (Service Men's Quota) हैं, जिनका विवरण कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय दिया जायेगा।

नोट : सैनिक कर्मचारी कोटा के आरक्षित सीटों पर विज्ञान एवं प्रावैधि की विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या- 1647 दिनांक 08.06.2010 के अनुसार नामांकन हेतु सीट आवंटन किया जायेगा। देखें परिशिष्ट-2 (IV)।

- (ii) इन SMQ सीटों पर नामांकन बिहार राज्य निवासी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों तथा अविवाहित पुत्रियों को दी जायेगी। यदि फिरभी SMQ की सीटें रिक्त रह जाती है तो उन सीटों को गुणगुण कोटि से भरी जायेगी।

इन SMQ की आरक्षित सीटों की सुविधा प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ ही निम्नांकित प्रमाणपत्रों की

अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा उनके लिए SMQ संवर्ग के अन्तर्गत नामांकन हेतु विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी हालत में बाद में प्रस्तुत SMQ संबंधित प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

• सेवारत/ भूतपूर्व/ सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारी के पुत्र एवं अविवाहित पुत्रियों को निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ नामांकन हेतु कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य (mandatory) है।

- I. कार्यरत सैनिक कर्मचारी के मामलों में, उनके सैनिक होने तथा आवेदक के उनके पुत्र / पुत्री होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा विधिवत निर्गत।
- II. भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के मामलों में उनके भूतपूर्व सैनिक होने तथा आवेदक के उनके पुत्र / पुत्री होने से सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, उनके सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी द्वारा विधिवत निर्गत।

(iii) भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी (Ex-Service Men) कौन है?

As per the Extract of "A Guide To Resettlement of Ex-Service Men-1984" Ministry of Defence, Directorate General Resettlement :

- (i) An Ex-Service Man is a person who has served in any rank (whether as a combatant or as a non-combatant) in the Armed Forces of the Union including the Armed Forces of the former Indian States (but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak and Territorial Army) for a continuous period of not less than six months after attestation and has been recessed otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or has been transferred to the reserve pending such release or has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve or has been released at his own request after completing five years service in the Armed Forces of the Union.
- (iv) Former Personnel of the Jammu & Kashmir Militia are also now treated as "Ex-Service Men".
- (v) Four Categories of Territorial Army personnel are now being treated as "Ex-Service Men" by the Ministry of Defence. The Categories are :
 - (a) Pension Holders of the continuous embodied service.
 - (b) Disabled Territorial Army personnel with disability attributed to Military Service.
 - (c) Family Pension Holders.
 - (d) Gallantry Award Winners.

7. JEE (MAIN)-2021 / BCECE-2021 (PCM Group) की मेधा-सूची के आधार पर UGEAC-2021 की काउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए योग्यता (Eligibility), Online आवेदन की प्रक्रिया एवं काउन्सेलिंग शुल्क :

(i) योग्यता (Eligibility) :

JEE (Main)-2021 जो राष्ट्रीय स्तर पर NTA द्वारा आयोजित की गई है / बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्यटन द्वारा संचालित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (बी.सी.ई.सी.ई.)-2021 के PCM Group के आधार पर प्राप्त मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी ही UGEAC-2021 के लिए Online आवेदन करने हेतु योग्य (Eligible) है ।

(ii) UGEAC-2021 हेतु Online आवेदन की अनिवार्यता :

उपर वर्णित कडिका-5.4 के अनुसार योग्य (Eligible) अभ्यर्थियों के लिए UGEAC-2021 के आधार पर अभियंत्रण पाठ्यक्रम की सीटों पर नामांकन हेतु काउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए Online आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे कडिका-6(iii) में दी गयी है । जो अभ्यर्थी UGEAC-2021 के लिए Online आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे वे UGEAC-2021 से सम्बन्धित किसी भी साक्षात्कार / काउन्सेलिंग में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे एवं इस सम्बन्ध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया :

UGEAC-2021 में सम्मिलित होने के लिए विवरण-पुस्तिका पर्यटन के Website : bceceboard.bihar.gov.in से Download कर प्राप्त कर सकते हैं ।

UGEAC-2021 में सम्मिलित होने के लिए योग्यता प्राप्त (Eligible) अभ्यर्थी उपरोक्त website के 'Apply for UGEAC-2021' के Link पर Click करें । इसके साथ ही Online आवेदन हेतु screen पर दिये गये निर्देशों (Instructions) को अच्छी तरह पढ़ लें ।

I. Step-One - Registration : For registering, the candidate is required to fill the information asked in Step-One of the application form, appearing on the computer screen. Candidates must enter their JEE (MAIN)-2021 Application No. and then click on verify button and after that enter your Date of Birth and click OK to verify your details. If Data gets verified then proceed for further process else provide your correct credentials like JEE (MAIN)-2021 Application No. and Date of Birth. Candidate while registering, must see that he / she is giving his / her own email_id and mobile no., because all informations concerning registration will be sent on the same email_id and mobile no. Also the candidate will receive a SMS. The received email and SMS will contain an "ACTIVATION CODE" which is to be used by the candidate to activate his account. The candidate should click "Activate Your Account" Button and enter the email_id and received Activation code to activate his / her account. There after click the "Submit" button. After activating the account the candidate should click the "Sign in" button and enter the email Id and password

to proceed further. The candidate must keep the password entered in Application Form confidential, otherwise BCECE Board will not be responsible for any complication. The email id given by the candidate will be his user name.

II. Step-two - (Personal Information) : After successful registration and activating the account, the candidate should again "Sign in" to his account and thereafter complete the required entries regarding personal information on the computer screen. Then click on "Save & Continue" button.

III. Step-Three - (Upload Photo and Signature) : After entering the personal information the candidate should upload his / her passport size photograph of high contrast (Photo must be snapped with placard containing candidate's name and snapping date), and full signature in Hindi and English (Not in capital letter) after duly scanning the same. After uploading photo and signature click on "Save & Continue" button.

IV. Step-Four - (Educational Information) : After uploading the scanned photo and signature the candidate should enter his / her educational information on the computer screen and click on "Save & Continue" button.

V. Step - Five (Preview your application) : After entering educational information the candidate must verify all the information given by him/her while verifying given information in step-2, step-3 and step-4. If any information is found wrong, then the candidate should click "Back to Edit" button and make required corrections. Thereafter the candidate should click "Save & Continue" button so that entered information should be updated.

If preview of application form is found to be correct, then the candidate has to give his / her Declaration and click the "Confirm & Submit" button so that he / she could pay Examination Fee as per Step-Six.

VI. Step - Six (Payment of Counselling Fee) : After preview of the Application Form and submitting the same, the candidate should click "Proceed to Payment" button and complete the payment procedure according to instructions appeared on the computer screen regarding payment of Counselling Fee. Paid Counselling Fee will not to be refunded. There are following one mode for payment of Counselling Fee.

a. Online Payment : If the candidate wants to pay Counselling Fee through Online mode e.g. Credit Card / Debit Card / Net banking, he / she should select online option from payment mode appearing on the computer screen and "Make the Payment" through Credit Card / Debit Card / Net banking. The candidate has to pay processing charge additional to Counselling Fee for payment through online mode.

b. Counselling Fee : Counselling fee to be paid

through above modes is Rs. 1200/- (One Thousand Two Hundred) only for Unreserved/ BC / EBC candidates and Rs. 600/- (Six Hundred) only for SC / ST / DQ (PwD) candidates.

VII. Step - Seven (Download part- A & Part-B) : After payment of Counselling Fee upto scheduled date and time, the candidate must download Hard Copy (Part-A & and Part-B) of online submitted Application Form and keep the same safely in his possession because it contains all informations provided by the candidate and the UGEAC-ID made available by the Board for further use during counselling.

Note : a. The candidates are required to fill up the reservation category very carefully taking into consideration the reservation policy/ rules / category as specified and applicable in the State of Bihar on or before the date of starting the process of online submission of the prescribed application form for JEE (MAIN)-2021.

- Hard copy of PART-A & PART-B need not be sent to the Board's office, but instead, this is to be made available at the time of counselling.
 - After completing the above procedure and finally submitting the online application form, there is no provision for any change or modification in the same.
 - The candidate must note that after submission of online application form, neither it can be withdrawn nor any request for refunding paid counselling fee will be entertained.
 - Board will not be responsible for any interruption in Internet / Postal / Banking system. Therefore the candidates must not wait till the last dates and complete all procedure before the due date.
 - Final Merit list will be prepared after scrutinising the data of JEE (MAIN)-2021 provided by Science & Tech. Deptt., Govt. of Bihar.
 - No other chance will be given to any candidate for submitting online application after due date for online submission of application.
4. All the certificates included in the list given below, if applicable, must be submitted in original by every candidate at the time of his / her counselling / allotment on the scheduled date ;
- Original Admit Card of JEE (MAIN)-2021
 - Original Score Card of JEE (MAIN)-2021
 - Passing Certificate / Mark sheet / Admit Card of Matric / equivalent exam.
 - Passing Certificate / Mark sheet / Admit Card of Intermediate/ 10+2 / equivalent exam.
 - Residential Certificate.
 - Caste Certificate.
 - All the Certificate / documents in original as per the requirements of admissions in Private Engg.

Colleges.

- Six copies of the passport size photographs, which was pasted on the Admit Card of JEE (MAIN)-2021.
- Downloaded print of Online filled Application Form (Part A & Part B) of UGEAC-2021.
- Aadhar Card.
- Any other documents required (if any) such as DQ (PwD)/SMQ / EWS certificate.

5. Important dates for UGEAC-2021 :

- Online Registration starting date : **22.10.2021**
- Online Registration closing date: **02.11.2021 (11.59 P.M.)**
- Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card with final submission of the online Application Form of Registered candidate : **03.11.2021 (11.59 P.M.)**
- Online Editing of Application Form : **04.11.2021 to 05.11.2021**
- Publication of Merit list of UGEAC-2021 : **06.11.2021 (8.00 P.M.)**
- Proposed date of Online Counselling : **To be notified later on.**

8. कॉउन्सेलिंग से सम्बन्धित आवश्यक सूचनायें :

8.1(क) छात्र-छात्राओं द्वारा पूर्ण रूप से विचार कर ही ऑन लाईन कॉउन्सेलिंग में संस्थान एवं शाखा के चयन का विकल्प भरा जाय। छात्र-छात्राओं द्वारा ऑन लाईन कॉउन्सेलिंग में दिये गये विकल्प को उनके मेधा के आधार पर कम्प्यूटराईज पद्धति द्वारा संस्थान एवं शाखा आवंटित की जायेगी। ऑन लाईन कॉउन्सेलिंग समाप्त होने या चेन्ज ऑप्शन फ्रिज होने (जो भी पहले हो) के पश्चात् उन्हें आवंटित संस्थान एवं शाखा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो पायेगा।

8.1(ख) जो आवेदक अपने ऑन लाइन प्रपत्र / साक्षात्कार/कॉउन्सेलिंग के समय / नामांकन की किसी भी प्रक्रिया में अथवा नामांकन के बाद अगर अनुचित तरीके अपनाने के दोषी पाये जायेंगे या निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें नामांकन की प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जायेगा। ऐसे निष्कासित अभ्यर्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

8.1(ग) बिहार राज्य स्थित निजी इंजिनियरिंग कॉलेजों के अभियंत्रण पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के अनुसार साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

8.2 JEE (MAIN)-2021 / BCECE-2021 (PCM Group) के आधार पर की मेधा- सूची (Rank list) तैयार करने में यदि किसी प्रकार की भूल / गलती का पता चलने पर नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा।

8.3 प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों तथा उनकी पहचान (Identity) की जाँच के बाद अन्तिम रूप से योग्य पाये जाने

पर मेधा-सह-विकल्प के आधार पर, निर्धारित तिथि को (कॉउन्सेलिंग के क्रम में) पाठ्यक्रम / संस्थान का आवंटन किया जायेगा। आवंटित सीट पर नामांकन हेतु डाकटरी जाँच कराना होगा और योग्य पाये जाने पर ही अन्तिम रूप से पाठ्यक्रम / संस्थान में नामांकन किया जा सकेगा।

8.4 JEE (MAIN)-2021 / BCECE-2021 (PCM Group) की मेधासूची के आधार पर नामांकन हेतु चयन के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रावधान को लागू किया जायेगा। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार भविष्य में राज्य सरकार / भारत सरकार / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, माननीय न्यायालय से यदि कोई आदेश / निर्देश प्राप्त होता है तो विचारोपरान्त तदनुसार कार्रवाई की जायेगी।

8.5 JEE (MAIN)-2021 / BCECE-2021 (PCM Group) के सम्बन्ध में विज्ञापन के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना / सूचनाएँ या पत्रों की वेबसाइट पर दी गयी सूचना / सूचनाएँ, इसी विवरण पुस्तिका के भाग होंगे।

9. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :

9.1 JEE (MAIN)-2021 / BCECE-2021 (PCM Group) की मेधासूची के आधार पर साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग का संचालन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पत्र पर करेगा। पत्रों द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से लिये गये सभी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होंगे।

9.2 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान के अधिकारी से सीधे पत्राचार करें।

9.3 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं में यदि कोई संशोधन/ परिवर्तन होगा या कोई अतिरिक्त सूचना होगी तो उसे आवेदकों को साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के समय या इसके पूर्व ही यथासाध्य सूचित कर दिया जायेगा।

9.4 समय-समय पर Website के माध्यम से UGEAC-2021 की कॉउन्सेलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना / सूचनाएँ दी जाती रहेंगी। उत्सुकतावश बार-बार अनावश्यक पत्र कृपया न लिखें, क्योंकि ऐसे पत्रों का उत्तर देना संभव नहीं होगा।

9.5 UGEAC-2021 हेतु निर्गत इस विवरण पुस्तिका/ आवेदन प्रपत्र आदि में सम्मिलित किसी नियम/ सूचना को परिवर्तित/ विलोपित करने अथवा जोड़ने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पत्र के पास सुरक्षित है।

9.6 इस परीक्षा के लिये यदि किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाती है तो इसके लिए उसे सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।

9.7 (क) अगर कोई अभ्यर्थी UGEAC-2021 के पूर्व, परीक्षा में या परीक्षा के उपरान्त, मेधा-सूची प्रकाशन के बाद या / एवं नामांकन होने के पश्चात् कभी भी गलत / त्रुटिपूर्ण या नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का दोषी पाया जाता है तो नामांकन हेतु उसकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायेगी।

(ख) यदि कोई परीक्षार्थी कदाचार में लिप्त होने अथवा Impersonation का दोषी पाया जाता है या JEE

(MAIN)-2021 / BCECE-2021 (PCM Group) की परीक्षा कक्ष में मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक गैजेट / ब्लूटूथ का उपयोग करते अथवा उसके / उनके साथ पकड़े जाने की पुष्टि होती है तो नामांकन हेतु निर्गत आवंटनादेश स्वतः रद्द हो जायेगा।

9.8 JEE (MAIN)-2021 / BCECE-2021 (PCM Group) की मेधा-सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अपने खर्च से स्वयं कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में, प्रमाण पत्रों एवं पहचान की जाँच आदि के लिये निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक होगा अन्यथा नामांकन हेतु वे अपना दावा खो देंगे।

9.9 कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में मूल प्रमाण पत्रों / अभिलेखों की जाँच आदि के लिये अभ्यर्थी को आवंटित संस्थान में ससमय स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा नामांकन हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

9.10 अगर भूलवश किसी अभ्यर्थी को UGEAC-2021 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने की अनुमति मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और नामांकन के पूर्व या उसके पश्चात् कभी भी इस भूल का पता चलता है तो वह मेधा-सूची में सम्मिलित होने के बावजूद नामांकन हेतु अपना दावा / अधिकार खो देगा। अगर इस सम्बन्ध में कोई वैधानिक विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में इस मामले में अन्तिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन-आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा।

9.11 नामांकन प्रक्रिया समाप्ति की घोषित तिथि के बाद किसी भी संबंधित संस्थान/ पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की रिक्तियाँ फिर नहीं भरी जायेंगी।

9.12 UGEAC-2021 के संचालन तथा इससे सम्बन्धित आवेदन प्रपत्रों से संबंधित सभी विवाद केवल पटना नगर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंदर ही दायर किये जायेंगे और वही मान्य होंगे। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पत्र के लिए परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से पत्रों का वाद दायर कर सकेगी।

परिशिष्ट-1 (Shedule-I)

Statement of Total Available Seats in Different Govt. Colleges (Branchwise) in Engineering Stream

Session-2021-2022

Note: BCECE Board / State Govt. Reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl.no	INSTITUTION	BRANCH	Distribution of Seats									DQ	SMQ Seat s	5 % of Total Seats	5 % of Total (Additional Seats For Economically Backward Under FWS)						
			as per Reservation Rules												E_UR	E_SC	E_STE	E_EBC	E_BC	E_RCG	E_Tot
			Total	UR	SC	ST	EBC	BC	RCG	EWS	Total										
1	B.C.E. BHAGALPUR	CIVIL ENGG.	60	24	10	1	10	7	2	6	60	3	1	3	1	1	0	1	0	0	3
	B.C.E. BHAGALPUR	MECHANICAL ENGG.	60	24	9	1	11	8	1	6	60	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3
	B.C.E. BHAGALPUR	ELECTRICAL ENGG.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3
	B.C.E. BHAGALPUR	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3
	B.C.E. BHAGALPUR	COMPUTER Sc. & Engg.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	2	0	0	0	0	1	3
	B.C.E. BHAGALPUR Total		300	120	48	3	54	36	9	30	300	15	5	15	7	2	0	3	2	1	15
2	M.I.T. MUZAFFARPUR	CIVIL ENGG.	60	24	10	1	10	7	2	6	60	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3
	M.I.T. MUZAFFARPUR	MECHANICAL ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	1	1	0	1	0	0	3
	M.I.T. MUZAFFARPUR	ELECTRICAL ENGG.	60	24	10	1	10	7	2	6	60	3	1	3	1	1	0	0	0	1	3
	M.I.T. MUZAFFARPUR	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	40	16	6	0	8	5	1	4	40	2	1	2	1	0	0	0	1	0	2
	M.I.T. MUZAFFARPUR	I.T.	40	16	7	0	7	5	1	4	40	2	1	2	1	0	0	0	1	0	2
	M.I.T. MUZAFFARPUR	LEATHER TECH.	15	6	2	0	3	2	0	2	15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
M.I.T. MUZAFFARPUR Total		275	110	44	3	49	33	8	28	275	14	6	14	7	2	0	2	2	1	14	
3	G.C.E. GAYA	COMPUTER Sc. & Engg.	60	24	10	1	10	7	2	6	60	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3
	G.C.E. GAYA	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	60	24	9	1	11	8	1	6	60	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3
	G.C.E. GAYA	MECHANICAL ENGG.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	1	0	0	1	0	1	3
	G.C.E. GAYA	CIVIL ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3
	G.C.E. GAYA Total.		240	96	38	3	43	29	7	24	240	12	4	12	6	2	0	2	1	1	12
4	M..C.E. MOTIHARI	COMPUTER Sc. & Engg.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3
	M..C.E. MOTIHARI	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	1	1	0	0	0	1	3
	M..C.E. MOTIHARI	MECHANICAL ENGG.	60	24	9	1	11	8	1	6	60	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3
	M..C.E. MOTIHARI	CIVIL ENGG.	60	24	10	1	10	7	2	6	60	3	1	3	1	1	0	0	1	0	3
	M.C.E. MOTIHARI Total		240	96	38	3	43	29	7	24	240	12	4	12	6	2	0	2	1	1	12
5	D.C.E. DARBHANGA	COMPUTER Sc. & Engg.	60	24	10	0	10	8	2	6	60	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3
	D.C.E. DARBHANGA	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	1	0	1	0	1	0	3
	D.C.E. DARBHANGA	MECHANICAL ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	1	0	0	1	0	1	3
	D.C.E. DARBHANGA	CIVIL ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3
	D.C.E. DARBHANGA Total		240	96	38	2	43	29	8	24	240	12	4	12	6	1	1	2	1	1	12

**Statement of Total Available Seats in Different Govt. Colleges (Branchwise) in Engineering Stream
Session-2021-2022**

Note: BCECE Board / State Govt. Reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl.No	INSTITUTION	BRANCH	Distribution of Seats as per Reservation Rules										DQ	SMQ Seats	5 % of Total Seats	5 % of Total (Additional Seats For Economically Backward Under FWS)						
			Total	UR	SC	ST	EBC	BC	RCG	EWS	Total	E_UR				E_SC	E_ST	E_EBC	E_BC	E_RCG	E_Tot	
6	NALANDA COLLEGE. OF ENGG,CHANDI	COMPUTER Sc. & Engg.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3	
	NALANDA COLLEGE. OF ENGG,CHANDI	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3	
	NALANDA COLLEGE. OF ENGG,CHANDI	MECHANICAL ENGG.	60	24	10	0	11	8	1	6	60	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3	
	NALANDA COLLEGE. OF ENGG,CHANDI	CIVIL ENGG.	60	24	10	1	10	7	2	6	60	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3	
	NALANDA COLLEGE OF ENGG, CHANDI, NALANDA		240	96	38	3	43	29	7	24	240	12	4	12	6	2	0	2	2	0	12	
7	L.N.J.P.I.T. TECHNOLOGY. CHAPRA	COMPUTER Sc. & Engg.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	1	1	0	1	0	0	3	
	L.N.J.P.I.T. TECHNOLOGY. CHAPRA	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3	
	L.N.J.P.I.T. TECHNOLOGY. CHAPRA	MECHANICAL ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	2	0	0	0	0	1	3	
	L.N.J.P.I.T. TECHNOLOGY. CHAPRA	CIVIL ENGG.	60	24	10	1	11	7	1	6	60	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3	
	L.N.J.P.I.T CHAPRA TOTAL		240	96	39	2	44	28	7	24	240	12	4	12	6	2	0	2	1	1	12	
8	B.C.E. BAKHTIYARPUR	CIVIL ENGG.	60	24	10	1	11	7	1	6	60	3	1	3	1	1	0	0	0	1	3	
	B.C.E. BAKHTIYARPUR	COMPUTER Sc. & Engg.	60	24	10	1	10	7	2	6	60	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3	
	B.C.E. BAKHTIYARPUR	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3	
	B.C.E. BAKHTIYARPUR	MECHANICAL ENGG.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3	
	B.C.E. BAKHTIYARPUR Total		240	96	39	3	43	28	7	24	240	12	4	12	6	2	0	2	1	1	12	
9	S.I.T. SITAMARHI	CIVIL ENGG.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	1	1	0	1	0	0	3	
	S.I.T. SITAMARHI	COMPUTER Sc. & Engg.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	1	0	0	0	1	1	3	
	S.I.T. SITAMARHI	ELECTRICAL ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3	
	S.I.T. SITAMARHI	MECHANICAL ENGG.	60	24	10	1	10	8	1	6	60	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3	
	S.I.T. SITAMARHI Total		240	96	39	2	43	29	7	24	240	12	4	12	6	2	0	2	1	1	12	
10	R.R.D.C.E. BEGUSARAI	CIVIL ENGG.	60	24	10	1	10	7	2	6	60	3	1	3	1	1	0	1	0	0	3	
	R.R.D.C.E. BEGUSARAI	COMPUTER Sc. & Engg.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3	
	R.R.D.C.E. BEGUSARAI	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	2	0	0	0	0	1	3	
	R.R.D.C.E. BEGUSARAI	MECHANICAL ENGG.	60	24	9	0	11	8	2	6	60	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3	
	R.R.D.C.E. BEGUSARAI Total		240	96	38	2	43	29	8	24	240	12	4	12	6	2	0	2	1	1	12	
11	S.C.E SASARAM	CIVIL ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	1	1	0	1	0	0	3	
	S.C.E SASARAM	COMPUTER Sc. & Engg.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3	
	S.C.E SASARAM	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	2	0	0	0	1	0	3	
	S.C.E SASARAM	MECHANICAL ENGG.	60	24	10	1	10	8	1	6	60	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3	
	S.C.E SASARAM Total		240	96	38	3	43	29	7	24	240	12	4	12	6	2	0	2	2	0	12	

**Statement of Total Available Seats in Different Govt. Colleges (Branchwise) in Engineering Stream
Session-2021-2022**

Note: BCECE Board / State Govt. Reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl.No	INSTITUTION	BRANCH	Distribution of Seats										DQ	SMQ Seats	5 % of Total Seats	5 % of Total (Additional Seats For Economically Backward Under FWS)						
			as per Reservation Rules													E_UR	E_SC	E_ST	E_EBC	E_BC	E_RCG	E_Tot
			Total	UR	SC	ST	EBC	BC	RCG	EWS	Total											
12	B.P.M.C.E. MADHEPURA	CIVIL ENGG.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	1	1	0	1	0	0	3	
	B.P.M.C.E. MADHEPURA	COMPUTER Sc. & Engg.	60	24	10	1	11	7	1	6	60	3	1	3	2	0	0	0	1	0	3	
	B.P.M.C.E. MADHEPURA	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	60	24	9	1	10	8	2	6	60	3	1	3	1	0	0	1	0	1	3	
	B.P.M.C.E. MADHEPURA	MECHANICAL ENGG.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3	
	B.P.M.C.E. MADHEPURA Total		240	96	39	2	43	29	7	24	240	12	4	12	6	1	0	3	1	1	12	
13	K.C.E., KATIHAR	CIVIL ENGG.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	1	1	0	1	0	0	3	
	K.C.E., KATIHAR	COMPUTER Sc. & Engg.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	2	0	0	0	1	0	3	
	K.C.E., KATIHAR	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	60	24	9	0	11	8	2	6	60	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3	
	K.C.E., KATIHAR	MECHANICAL ENGG.	60	24	10	1	10	7	2	6	60	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3	
	K.C.E., KATIHAR Total		240	96	38	2	43	29	8	24	240	12	4	12	6	1	0	3	2	0	12	
14	PURNEA COLLEGE OF ENGG.	CIVIL ENGG.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	1	1	0	1	0	0	3	
	PURNEA COLLEGE OF ENGG.	ELECTRICAL ENGG.	60	24	10	1	11	7	1	6	60	3	1	3	2	0	0	0	1	0	3	
	PURNEA COLLEGE OF ENGG.	MECHANICAL ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3	
	PURNEA COLLEGE OF ENGG.	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	1	1	0	0	0	1	3	
	PURNEA COLLEGE OF ENGG.	COMPUTER Sc. & Engg.	30	12	5	0	5	4	1	3	30	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
	PURNEA COLLEGE Total		270	108	43	3	49	32	8	27	270	13	5	13	6	2	0	2	2	1	13	
15	SAHARSA COLLEGE OF ENGG.	CIVIL ENGG.	60	24	10	1	11	7	1	6	60	3	1	3	1	1	0	1	0	0	3	
	SAHARSA COLLEGE OF ENGG.	ELECTRICAL ENGG.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3	
	SAHARSA COLLEGE OF ENGG.	MECHANICAL ENGG.	60	24	9	0	11	8	2	6	60	3	1	3	2	0	0	0	0	1	3	
	SAHARSA COLLEGE OF ENGG.	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3	
	SAHARSA COLLEGE Total		240	96	38	2	44	29	7	24	240	12	4	12	6	2	0	2	1	1	12	
16	SUPAUL COLLEGE OF ENGG.	CIVIL ENGG.	30	12	5	0	5	4	1	3	30	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
	SUPAUL COLLEGE OF ENGG.	ELECTRICAL ENGG.	30	12	5	0	6	3	1	3	30	2	1	2	1	0	0	1	0	0	2	
	SUPAUL COLLEGE OF ENGG.	MECHANICAL ENGG.	30	12	5	1	5	3	1	3	30	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	
	SUPAUL COLLEGE OF ENGG.	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	30	12	5	0	5	4	1	3	30	2	1	2	1	1	0	0	0	0	2	
	SUPAUL COLLEGE OF ENGG.	COMPUTER Sc. & Engg.	15	6	2	0	3	2	0	2	15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
	SUPAUL COLLEGE Total		135	54	22	1	24	16	4	14	135	7	5	7	4	1	0	1	1	0	7	
17	GOVT. ENGG. COLLEGE, BANKA	CIVIL ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BANKA	ELECTRICAL ENGG.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	1	1	0	1	0	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BANKA	MECHANICAL ENGG.	60	24	10	1	11	7	1	6	60	3	1	3	2	0	0	0	1	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BANKA	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	1	0	1	0	1	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BANKA	COMPUTER Sc. & Engg.	30	12	5	0	5	4	1	3	30	2	1	2	1	0	0	1	0	0	2	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BANKA Total		270	108	43	3	49	32	8	27	270	14	5	14	7	2	1	2	2	0	14	

**Statement of Total Available Seats in Different Govt. Colleges (Branchwise) in Engineering Stream
Session-2021-2022**

Note: BCECE Board / State Govt. Reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl.No	INSTITUTION	BRANCH	Distribution of Seats										SMQ	Seat s	5 % of Total Seats	5 % of Total (Additional Seats For Economically Backward Under FWS)							
			as per Reservation Rules													DQ	E_UR	E_SC	E_ST	E_EBC	E_BC	E_RCG	E_Tot
			Total	UR	SC	ST	EBC	BC	RCG	EWS	Total												
18	GOVT. ENGG. COLLEGE, VAISHALI	CIVIL ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	1	1	0	0	0	1	3		
	GOVT. ENGG. COLLEGE, VAISHALI	ELECTRICAL ENGG.	60	24	10	0	10	8	2	6	60	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3		
	GOVT. ENGG. COLLEGE, VAISHALI	MECHANICAL ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3		
	GOVT. ENGG. COLLEGE, VAISHALI	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	60	24	10	1	11	7	1	6	60	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3		
	GOVT. ENGG. COLLEGE, Vaishali Total		240	96	38	3	43	29	7	24	240	12	4	12	6	2	0	2	1	1	12		
19	GOVT. ENGG. COLLEGE, JAMUI	CIVIL ENGG.	60	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3		
	GOVT. ENGG. COLLEGE, JAMUI	ELECTRICAL ENGG.	60	24	10	1	10	8	1	6	60	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3		
	GOVT. ENGG. COLLEGE, JAMUI	MECHANICAL ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3		
	GOVT. ENGG. COLLEGE, JAMUI	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	60	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3		
	GOVT. ENGG. COLLEGE, Jamui Total		240	96	38	3	43	29	7	24	240	12	4	12	6	2	0	2	2	0	12		
20	GOVT. ENGG. COLLEGE, NAWADA	CIVIL ENGG.	108	43	17	1	20	13	3	11	108	5	1	5	3	1	0	1	0	0	5		
	GOVT. ENGG. COLLEGE, NAWADA	ELECTRICAL ENGG.	54	22	9	0	10	7	1	5	54	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3		
	GOVT. ENGG. COLLEGE, NAWADA	MECHANICAL ENGG.	54	22	9	1	9	6	2	5	54	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3		
	GOVT. ENGG. COLLEGE, NAWADA Total		216	87	35	2	39	26	6	21	216	11	3	11	6	2	0	2	1	0	11		
	21	GOVT. ENGG. COLLEGE KISHANGANJ	CIVIL ENGG.	54	21	9	0	10	7	1	6	54	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3	
GOVT. ENGG. COLLEGE KISHANGANJ		MECHANICAL ENGG.	54	22	9	1	9	6	2	5	54	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3		
GOVT. ENGG. COLLEGE KISHANGANJ		ELECTRICAL ENGG.	54	21	9	1	10	6	1	6	54	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3		
GOVT. ENGG. COLLEGE KISHANGANJ		ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	54	22	8	0	10	7	2	5	54	2	1	2	1	1	0	0	0	0	2		
GOVT. ENGG. COLLEGE, KISHANGANJ Total			216	86	35	2	39	26	6	22	216	11	4	11	6	2	0	2	1	0	11		
22	GOVT. ENGG. COLLEGE ARARIA	CIVIL ENGG.	54	22	9	0	10	7	1	5	54	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3		
	GOVT. ENGG. COLLEGE ARARIA	MECHANICAL ENGG.	54	22	9	1	9	6	2	5	54	3	1	3	1	1	0	0	1	0	3		
	GOVT. ENGG. COLLEGE ARARIA	ELECTRICAL ENGG.	54	21	9	0	10	7	1	6	54	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3		
	GOVT. ENGG. COLLEGE ARARIA	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	54	22	8	1	10	6	2	5	54	2	1	2	1	1	0	0	0	0	2		
	GOVT. ENGG. COLLEGE, ARARIA Total		216	87	35	2	39	26	6	21	216	11	4	11	5	2	0	2	2	0	11		
23	GOVT. ENGG. COLLEGE MUNGER	CIVIL ENGG.	108	43	17	1	20	13	3	11	108	5	1	5	2	1	0	1	1	0	5		
	GOVT. ENGG. COLLEGE MUNGER	MECHANICAL ENGG.	54	21	9	0	10	7	1	6	54	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3		
	GOVT. ENGG. COLLEGE MUNGER	ELECTRICAL ENGG.	54	22	9	1	9	6	2	5	54	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3		
	GOVT. ENGG. COLLEGE, MUNGER Total		216	86	35	2	39	26	6	22	216	11	3	11	5	2	0	2	2	0	11		

**Statement of Total Available Seats in Different Govt. Colleges (Branchwise) in Engineering Stream
Session-2021-2022**

Note: BCECE Board / State Govt. Reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl.No	INSTITUTION	BRANCH	Distribution of Seats as per Reservation Rules										DQ	SMQ Seats	5 % of Total Seats	5 % of Total (Additional Seats For Economically Backward Under FWS)					
			Total	UR	SC	ST	EBC	BC	RCG	EWS	Total	E_UR				E_SC	E_ST	E_EBC	E_BC	E_RCG	E_Tot
24	GOVT ENGG. COLLEGE SHEOHAR	CIVIL ENGG.	54	22	9	0	10	7	1	5	54	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3
	GOVT ENGG. COLLEGE SHEOHAR	MECHANICAL ENGG.	54	22	9	1	9	6	2	5	54	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3
	GOVT ENGG. COLLEGE SHEOHAR	ELECTRICAL ENGG.	54	21	8	0	10	7	2	6	54	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3
	GOVT ENGG. COLLEGE SHEOHAR	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	54	22	8	1	10	6	2	5	54	2	1	2	1	0	0	0	1	0	2
	GOVT. ENGG. COLLEGE, SHEOHAR Total		216	87	34	2	39	26	7	21	216	11	4	11	6	1	0	2	2	0	11
25	GOVT ENGG COLLEGE W. CHAMPARAN	CIVIL ENGG.	54	21	9	0	10	7	1	6	54	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3
	GOVT ENGG COLLEGE W. CHAMPARAN	MECHANICAL ENGG.	54	22	9	1	9	6	2	5	54	2	1	2	1	0	0	1	0	0	2
	GOVT ENGG COLLEGE W. CHAMPARAN	ELECTRICAL ENGG.	54	21	9	1	10	6	1	6	54	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3
	GOVT ENGG COLLEGE W. CHAMPARAN	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	54	22	8	0	10	7	2	5	54	2	1	2	1	1	0	0	0	0	2
	GOVT. ENGG. COLLEGE, W. CHAMPARAN Total		216	86	35	2	39	26	6	22	216	10	4	10	5	1	0	3	1	0	10
26	GOVT. ENGG. COLLEGE, AURANGABAD	CIVIL ENGG.	54	22	8	1	10	6	2	5	54	2	1	2	1	1	0	0	0	0	2
	GOVT. ENGG. COLLEGE, AURANGABAD	MECHANICAL ENGG.	54	21	9	1	9	6	2	6	54	3	1	3	1	1	0	0	1	0	3
	GOVT. ENGG. COLLEGE, AURANGABAD	ELECTRICAL ENGG.	54	21	9	0	10	7	1	6	54	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3
	GOVT. ENGG. COLLEGE, AURANGABAD	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	54	22	9	0	10	6	2	5	54	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3
	GOVT. ENGG. COLLEGE, AURANGABAD Total		216	86	35	2	39	25	7	22	216	11	4	11	6	2	0	2	1	0	11
27	GOVT. ENGG. COLLEGE, KAIMUR	CIVIL ENGG.	54	22	8	0	10	7	2	5	54	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3
	GOVT. ENGG. COLLEGE, KAIMUR	MECHANICAL ENGG.	54	22	9	1	9	6	2	5	54	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3
	GOVT. ENGG. COLLEGE, KAIMUR	ELECTRICAL ENGG.	54	21	9	0	10	7	1	6	54	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3
	GOVT. ENGG. COLLEGE, KAIMUR	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	54	22	8	1	10	6	2	5	54	2	1	2	1	1	0	0	0	0	2
	GOVT. ENGG. COLLEGE, KAIMUR Total		216	87	34	2	39	26	7	21	216	11	4	11	6	2	0	2	1	0	11
28	GOVT. ENGG. COLLEGE, GOPALGANJ	CIVIL ENGG.	54	22	8	1	9	7	2	5	54	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3
	GOVT. ENGG. COLLEGE, GOPALGANJ	MECHANICAL ENGG.	54	21	9	1	10	6	2	5	54	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3
	GOVT. ENGG. COLLEGE, GOPALGANJ	ELECTRICAL ENGG.	108	43	17	1	20	13	3	11	108	5	1	5	3	1	0	1	0	0	5
	GOVT. ENGG. COLLEGE, GOPALGANJ Total		216	86	34	3	39	26	7	21	216	11	3	11	6	2	0	2	1	0	11
29	GOVT. ENGG. COLLEGE, MADHUBANI	CIVIL ENGG.	108	43	17	1	20	13	3	11	108	5	1	5	3	1	0	1	0	0	5
	GOVT. ENGG. COLLEGE, MADHUBANI	MECHANICAL ENGG.	54	22	8	1	10	6	2	5	54	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3
	GOVT. ENGG. COLLEGE, MADHUBANI	ELECTRICAL ENGG.	54	22	9	0	9	7	2	5	54	2	1	2	1	1	0	0	0	0	2
		GOVT. ENGG. COLLEGE, MADHUBANI		216	87	34	2	39	26	7	21	216	10	3	10	5	2	0	2	1	0
30	GOVT. ENGG. COLLEGE, SIWAN	CIVIL ENGG.	54	21	9	0	10	7	1	6	54	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3
	GOVT. ENGG. COLLEGE, SIWAN	MECHANICAL ENGG.	54	22	9	1	9	6	2	5	54	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3
	GOVT. ENGG. COLLEGE, SIWAN	ELECTRICAL ENGG.	108	43	17	1	20	13	3	11	108	5	1	5	3	1	0	1	0	0	5
		GOVT. ENGG. COLLEGE, SIWAN TOTAL		216	86	35	2	39	26	6	22	216	11	3	11	6	2	0	2	1	0
31	GOVT. ENGG. COLLEGE, JEHANABAD	CIVIL ENGG.	108	43	17	1	20	13	3	11	108	5	1	5	2	1	1	1	0	0	5
	GOVT. ENGG. COLLEGE, JEHANABAD	MECHANICAL ENGG.	54	21	9	0	10	7	1	6	54	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3
	GOVT. ENGG. COLLEGE, JEHANABAD	ELECTRICAL ENGG.	54	22	9	1	9	6	2	5	54	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3
		GOVT. ENGG. COLLEGE, JEHANABAD TOTAL		216	86	35	2	39	26	6	22	216	11	3	11	5	2	1	2	1	0

**Statement of Total Available Seats in Different Govt. Colleges (Branchwise) in Engineering Stream
Session-2021-2022**

Note: BCECE Board / State Govt. Reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl.No	INSTITUTION	BRANCH	Distribution of Seats										DQ	SMQ Seats	5 % of Total Seats	5 % of Total (Additional Seats For Economically Backward Under FWS)						
			as per Reservation Rules													E_UR	E_SC	E_ST	E_EBC	E_BC	E_RCG	E_Tot
			Total	UR	SC	ST	EBC	BC	RCG	EWS	Total											
32	GOVT. ENGG. COLLEGE, ARWAL	CIVIL ENGG.	54	22	9	0	10	7	1	5	54	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, ARWAL	MECHANICAL ENGG.	54	22	9	1	9	6	2	5	54	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, ARWAL	ELECTRICAL ENGG.	108	43	17	1	20	13	3	11	108	5	1	5	2	1	0	1	1	0	5	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, ARWAL Total		216	87	35	2	39	26	6	21	216	11	3	11	5	2	0	2	2	0	11	
33	GOVT. ENGG. COLLEGE, KHAGARIA	CIVIL ENGG.	108	43	17	1	20	13	3	11	108	5	1	5	2	1	1	1	0	0	5	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, KHAGARIA	MECHANICAL ENGG.	54	22	8	0	10	7	2	5	54	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, KHAGARIA	ELECTRICAL ENGG.	54	22	9	1	9	6	2	5	54	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, KHAGARIA Total		216	87	34	2	39	26	7	21	216	11	3	11	5	2	1	2	1	0	11	
34	GOVT. ENGG. COLLEGE, BUXAR	CIVIL ENGG.	54	21	9	0	10	7	1	6	54	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BUXAR	MECHANICAL ENGG.	54	22	9	1	9	6	2	5	54	2	1	2	1	1	0	0	0	0	2	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BUXAR	ELECTRICAL ENGG.	54	22	8	1	9	6	2	6	54	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BUXAR	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	54	21	9	0	10	7	2	5	54	2	1	2	1	1	0	0	0	0	2	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BUXAR Total		216	86	35	2	38	26	7	22	216	10	4	10	5	2	0	2	1	0	10	
35	GOVT. ENGG. COLLEGE, BHOJPUR	CIVIL ENGG.	54	22	8	1	10	7	1	5	54	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BHOJPUR	MECHANICAL ENGG.	54	21	9	1	10	6	2	5	54	2	1	2	1	1	0	0	0	0	2	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BHOJPUR	ELECTRICAL ENGG.	54	22	8	0	9	7	2	6	54	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BHOJPUR	INSTRUMENTATION ENGG.	54	21	9	0	10	6	2	6	54	3	1	3	1	1	0	0	1	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BHOJPUR Total		216	86	34	2	39	26	7	22	216	11	4	11	5	2	0	2	2	0	11	
36	GOVT. ENGG. COLLEGE, SHEIKHPURA	CIVIL ENGG.	54	21	9	1	10	6	2	5	54	2	1	3	1	0	0	1	0	0	2	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, SHEIKHPURA	MECHANICAL ENGG.	54	22	9	0	10	7	1	5	54	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, SHEIKHPURA	ELECTRICAL ENGG.	54	22	8	1	9	6	2	6	54	3	1	3	2	0	0	1	0	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, SHEIKHPURA	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	54	22	8	0	10	7	2	5	54	3	1	2	1	1	0	0	1	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE, SHEIKHPURA Total		216	87	34	2	39	26	7	21	216	11	4	11	6	2	0	2	1	0	11	
37	GOVT. ENGG. COLLEGE OF LAKHISARAI	CIVIL ENGG.	108	43	17	1	20	13	3	11	108	5	1	5	2	1	0	1	1	0	5	
	GOVT. ENGG. COLLEGE OF LAKHISARAI	MECHANICAL ENGG.	54	22	9	0	10	7	1	5	54	3	1	3	2	1	0	0	0	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE OF LAKHISARAI	ELECTRICAL ENGG.	54	21	9	1	9	6	2	6	54	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE OF LAKHISARAI Total		216	86	35	2	39	26	6	22	216	11	3	11	5	2	0	2	2	0	11	
38	GOVT. ENGG. COLLEGE OF SAMASTIPUR	CIVIL ENGG.	54	22	9	0	10	7	1	5	54	3	1	3	1	0	0	1	1	0	3	
	GOVT. ENGG. COLLEGE OF SAMASTIPUR	MECHANICAL ENGG.	54	21	9	1	9	6	2	6	54	2	1	2	1	1	0	0	0	0	2	
	GOVT. ENGG. COLLEGE OF SAMASTIPUR	ELECTRICAL ENGG.	108	43	17	1	20	13	3	11	108	5	1	5	3	1	0	1	0	0	5	
	GOVT. ENGG. COLLEGE OF SAMASTIPUR Total		216	86	35	2	39	26	6	22	216	10	3	10	5	2	0	2	1	0	10	
Total			8714	3486	1394	87	1569	1046	261	871	8714	436	148	436	218	70	4	79	52	13	436	

* (i) The Institutions, Courses and available seats as mentioned above are provisional. Any Change in Institutions / number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.

(ii) Total Seats in each institution are inclusive of Disable Quota Seats.

(iii) SMQ Seats are included in total seats in each institution and allotment under this quota will be made after approval from the Department of Science & Technology, Govt. of Bihar.

(iv) 5% Seats for economically backward students may be made available economically backward students for Backward students are those whose Parents / Guardian income is less than Rs. 8 Lacs per annum.

**Statement of Total Available Seats of Dr. APJ Abdul Kalam Womens Institute of Technology, Navodaya Complex, Kameshwar Nagar,
Darbhanga, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga in Engineering Stream**

Session-2021-2022

Note: BCECE Board / State Govt. Reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl.	Institution	Branch	Round off Figure as per Reservation Rules									
			UR	SC	ST	EBC	BC	RCG	EWS	Total	DQ	SMQ
1	Dr. APJ Abdul Kalam Womens Institute of Technology, Navodaya Complex, Kameshwar Nagar, Darbhanga,	Computer Sc. & Engg.	24	9	1	11	9	0	6	60	0	0
		Information Technology	12	5	1	5	4	0	3	30	0	0
		Bioinformation	12	5	1	5	4	0	3	30	0	0

*** (i) The Institutions, Courses and available seats as mentioned above are provisional. Any Change in Institutions / number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.**

(ii) Total Seats in each institution are inclusive of Disable Quota Seats.

(iii) SMQ Seats are included in total seats in each institution and allotment under this quota will be made after approval from the Department of Science & Technology, Govt. of Bihar.

Statement of Total Available Seats in Different Private Colleges (Branchwise) in Engineering Stream

Session-2021-2022

Note: BCECE Board / State Govt. Reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl.	Institution	Institute Type	Branch	Round off Figure as per Reservation Rules									
				UR	SC	ST	EBC	BC	RCG	EWS	Total	DQ	SMQ
1	Exalt College of Engg & Tech, Vaishali	Private	CIVIL ENGG.	24	10	1	11	7	1	6	60	3	1
		Private	ELECTRICAL ENGG.	24	10	0	11	7	2	6	60	3	1
		Private	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	24	10	0	10	8	2	6	60	3	1
		Private	MECHANICAL ENGG.	24	9	1	11	7	2	6	60	3	1
2	Buddha Institute of Technology, Gaya	Private	Mechanical Engg.	24	10	1	11	7	1	6	60	3	1
		Private	Electrical Engg.	24	10	1	11	7	1	6	60	3	1
		Private	Civil Engg.	24	10	1	11	7	1	6	60	3	1
		Private	Electronics & Communication Engg.	24	10	1	11	7	1	6	60	3	1
		Private	Computer Sc. & Engg.	24	10	1	11	7	1	6	60	3	1

* (i) The Institutions, Courses and available seats as mentioned above are provisional. Any Change in Institutions / number of seats will be made known at the time of Counselling / Interview.

(ii) Total Seats in each institution are inclusive of Disable Quota Seats.

(iii) SMQ Seats are included in total seats in each institution and allotment under this quota will be made after approval from the Department of Science & Technology, Govt. of Bihar.

परिशिष्ट-2

अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप से सम्बन्धित दिव्यांगजन की अर्हता / योग्यता

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-11 / आ0नी0-1-06/2017 सा0प्र0-13062, पटना दिनांक 12.10.2017 एवं सा.प्र. 7162 पटना, दिनांक 31.05.2018 के अनुसार शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों को भरने हेतु मार्ग-दर्शिका

1. कॉउन्सेलिंग के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0-11/आ0नी0-1-06/2017 सा0प्र0 13062 पटना दिनांक 12.10.2017 में वर्णित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यदि आवश्यकता हुई तो कॉउन्सेलिंग के समय उन्हें चिकित्सकीय जांच करानी होगी। जिसके लिए विहित शुल्क का भुगतान उन्हें करना होगा।
2. प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड के सत्यापन के बाद मेधा-सह-विकल्प के आधार पर राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों में तथा ऐसी शैक्षणिक संस्थानों में, जिन्हें राज्य सरकार से सहायता मिली हो, नामांकन में दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण भी दिव्यांगता आधारित होगा, जातिगत आधारित नहीं होगा। नामांकन हेतु चयनित दिव्यांग उम्मीदवार जिस आरक्षित / गैर आरक्षित वर्ग का होगा, उसकी गणना उसी आरक्षित/ गैर आरक्षित वर्ग के विरुद्ध होगी।
3. केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं / पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कम-से-कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो। (उपरोक्त संकल्प कंडिका-V)
4. दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों एवं पाठ्यक्रम के चयन के लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र विक्रय तिथि तक लागू निदेशों का पालन किया जायेगा।

परिशिष्ट- 3

सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत अभियंत्रण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण बिहार सरकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग संकल्प

बि० प्रा० (II) छात्र /02/2008/ 1647

पटना, दिनांक 08.06.2010

विषय :- सैनिक कोटा के अधीन राज्य के अभियंत्रण तथा पोलिटेकनिक संस्थानों में नामांकन हेतु स्थान आरक्षित करने के संबंध में ।

बिहार सरकार, औद्योगिक एवं सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या-4182 दिनांक-02, अगस्त 1960 के द्वारा सैनिक कोटा के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए अभियंत्रण महाविद्यालय के सिविल तथा मेकेनिकल पाठ्यक्रम प्रत्येक में एक-एक स्थान एवं पटना पोलिटेकनिक में एक स्थान में नामांकन हेतु आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था । साथ ही, गृह विभाग (सैनिक पुनर्वास निदेशालय) के पत्र सं० 412, दि० 18.2.1985 द्वारा भी कार्यरत सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में नामांकन में स्थान आरक्षित किया गया था । इन प्रावधानों के आलोक में वर्तमान में सेवारत सैनिक कर्मचारी तथा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों/ अविवाहित पुत्रियों / आश्रित सहोदर भाइयों / आश्रित अविवाहित सहोदर बहनों / आश्रित भतीजा तथा भतीजियों के लिए प्रत्येक अभियंत्रण/पोलिटेकनिक संस्थान के प्रत्येक पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त एक-एक सीट पर मेधा के आधार पर प्रवेश लिया जाता रहा है ।

2. उपर्युक्त प्रासंगिक संकल्प के संशोधन का मामला निम्न कारणों से राज्य सरकार के विचाराधीन था:-

(i) सैनिक पुनर्वास महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निदेश में भूतपूर्व / कार्यरत सैनिकों के आश्रितों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए मात्र उनके बच्चों हेतु स्थान आरक्षित किये जाने का उल्लेख है । इसके अलावा प्रासंगिक संकल्प में अभियंत्रण महाविद्यालय / पोलिटेकनिक संस्थानों में मात्र भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षण का प्रावधान है ।

(ii) संकल्प संख्या-4182 दिनांक 02 अगस्त 1960 की निर्गत होने की तिथि के बाद से राज्य में तकनीकी संस्थानों तथा पाठ्यक्रमों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है तथा उक्त संकल्प में सभी अभियंत्रण महाविद्यालय के मामले में सभी पाठ्यक्रम तथा पोलिटेकनिक संस्थान के मामले में सभी पोलिटेकनिक संस्थानों एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों का उल्लेख नहीं था ।

(iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक संगठन के रूप में कार्यरत है तथा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त सीट पर नामांकन की वैधता नहीं है ।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या-456 दिनांक 30.09.2002 के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 50 प्रतिशत सीट ही आरक्षित किये जाने का प्रावधान है ।

3. तदनुसार, कार्यरत / भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए राज्य के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य सरकार ने निम्न निर्णय लिया है:-

(i) सैनिक कोटा के अधीन राज्य के राजकीय अभियंत्रण तथा पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत/ भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों / अविवाहित पुत्रियों का ही नामांकन होगा बशर्ते बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में वे सफल घोषित किये गये हैं ।

(ii) कार्यरत सैनिकों के मामले में उनके सैनिक होने तथा उनके पुत्र / पुत्री से संबंधित प्रमाण पत्र उनके नियंत्रि पदाधिकारी से तथा भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में उनके भूतपूर्व सैनिक होने तथा उनके पुत्र-पुत्री होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(iii) प्रत्येक संस्थान के प्रत्येक पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अंतर्गत एक-एक सीट सैनिक कोटा के लिए आरक्षित होगा । सैनिक कोटा से चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित / अनारक्षित कोटि से आते हों, उसी कोटि में उनकी गिनती की जायेगी । अर्थात्, यह आरक्षण क्षैतिज रूप में लागू होगा ।

(iv) बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम, 2003 (बिहार अधिनियम, 16/2003) एवं समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियमों के आलोक में नामांकन आदि की कार्रवाई की जाती रहेगी ।

(v) उपर्युक्त प्रावधान सत्र 2010-11 के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा से लागू होंगे ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से ।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

परिशिष्ट-4

प्रमाण पत्र / अंक पत्र / अन्य अभिलेख की सूची

-
- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 1. | Mark sheet and Admit Card of +2/I.SC or equivalent Examination | - | by relevant Board/ Council. |
| 2. | Passing Certificate of +2/I.SC or equivalent Examination | - | by relevant Board/ Council |
| 3. | Mark sheet and Admit Card of 10th / equivalent Examination's mark sheet/ Certificate/ Admit Card | - | by relevant Board/ Council |
| 4. | Caste Certificate & Permanent Residential Certificate | - | Issued by Concerned C.O. / Revenue Officer of Permanent Residence. |
| 5. | Character Certificate | - | Issued by Head of Institution last attended/ studied |
| 6. | Income Certificate (if needed) | - | Issued by C.O. / Revenue Officer of Permanent Residence. |
| 7. | Admit Card | - | Admit Card of JEE (MAIN)-2021 / BCECE-2021 (PCM Group) |
| 8. | Photograph | - | Four Photo graphs identical to one used for preparing the Admit Card of JEE (MAIN)-2021 / BCECE-2021 (PCM Group) |
| 9. | Certificate of Disable Quota | - | As per Para-4.6.2 of this prospectus . |
| 10. | Aadhar Card (Identity Certificate). | | |
| 11. | Hard Copy of Online submitted application form (Part-A & Part-B) | | |
